534

1. 22.1.2004
2. 17.6.2010
3. 4.4.2014

जिला सहकारी बुनकर संघ

उपनियम

कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : फा. 15 (30) (1) (सविर I/नियम/उपनियम/2004 दिनांक: 22-11-2004

संयुक्त / उप / सहायक पंजीयक,
सहकारी समितियां,
....

विषय : जिला सहकारी बुनकर संघो के उपनियमों में संशोधन ।

विषयान्तर्गत राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 एवं राजस्थान सहकारी सोसाइटी नियम, 2003 के लागू हो जाने के पश्चात अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत जिला सहकारी बुनकर संघो के वर्तमान प्रावधानों में वांछित संशोधन किया जाना विधिक दृष्टि से अपरिहार्य हो गया है । इस क्रम में राज्य की उक्त संस्थाओं के उपनियमों की संशोधित प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर पठाई जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 11 के अन्तर्गत संलग्न उपनियम संशोधन संस्था को प्रस्तावित करते हुए संशोधन की आवश्यक कार्यवाही कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार ।

(राजेश्वर सिंह)
रजिस्ट्रार,

प्रतिलिपि :
1. निजी सचिव, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. फंक्शनल अधिकारीगण, प्रधान कार्यालय ।
4. प्रबन्ध संचालक, राजस्थान राज्य सहकारी बुनकर संघ लि0,, जयपुर ।
5. मुख्य कार्यकारी, जिला बुनकर सहकारी संघ.. ।
6. रक्षित पत्रावली ।

उप पंजीयक (नियम)

..............जिला बुनकर सहकारी संघ लि0..............

विधान और उप विधियाँ

नाम :

1. इस संघ का नाम ....जिला बुनकर सहकारी संघ लि0, होगा ।

2. इसका रजिस्ट्री किया हुआ कार्यालय ....होगा ।

कार्यक्षेत्र :

3. क्षेत्र समस्त ....जिले तक सीमित होगा ।

उद्‌देश्य :

4. इसके उद्‌देश्य निम्नलिखित होगें ।

1. जिले के हाथकर्घा उद्योग को कार्यालय को महत्ता पहुँचा कर रक्षा करना, व्यवस्था करना और हाथकर्घा वस्त्र की बिकी को प्रोत्साहन देना बढ़ाना और हाथकर्घा वस्त्र से सम्बन्धित एवं दरी, निवार , कारपेट..........की वस्तुओ के लिये देश विदेश में बिकी केन्द्र स्थापित करना व उनको बढ़ाना ।

2. संघ के कारबार का चलाने के लिये हिस्सा पूंजी ऋण इत्यादि के रूप में धन एकत्रित करना ।

3. इस संघ के सदस्यों को सुधरे औजारों व कच्चे माल नगद व उधार उपलब्ध कराना ।

4. सदस्यों व जहाँ तक सम्भव हो असदस्यों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिकी का प्रबन्ध करना

5. सदस्यों को उनकी उत्पादित वस्तुओ व व्यापारिक पत्र व रेल्वे रसीद की प्रतिभूति [illegible] अन्य प्रतिभूति पर उचित ब्याज पर ऋण देना ।

6. संघ के कार्य से सम्बन्धित हुडियो व हस्तान्तरित किये जाने वाले दस्तावेजों को लिखना, हस्तान्तरित करना, बचान करना, स्वीकार करना और बेचना ।

7. सदस्यों व जहाँ तक सम्भव हो असदस्यों द्वारा उत्पादित की हुई वस्तुओं को भी इन्डेण्ट प्रणाली पर खरीदना व तुरन्त बिकी के हेतु खरीदने व बचेने का प्रबन्ध करना अथवा कन्साइनमेन्ट प्रणाली पर बिकी के लिये माल गोदाम में रखना ।

8. हाथकर्घा वस्त्र के उत्पादन में उन्नति करने या इस माल को आर्दश बनाने हेतु, इस उद्योग में लगे हुए [illegible] के उत्पादन सम्बन्धी ज्ञान में वृद्धि करना व उनको नये ढंग से सिखाना ।

9. सदस्यों को अच्छे व उत्पादित माल के क्रय करने के बारे में उपयुक्त डिजाइन [illegible] बाजार में मांग हो से उत्पादन के बारे में आवश्यक सूचना व सलाह देना और [illegible] मार्ग प्रदर्शन करना और इस बारे में उचित मांग निर्धारित करना व उपयुक्त व्यापार चिन्ह चालू करना ।

10. हाथकर्घा उद्योग के प्रसार के लिये प्रचयार करना और समय समय पर बुनकरों का सर्वतोन्मुखी उन्नति के हेतु उनकी सभायें करना ।

11. समय समय पर तथा स्थान–स्थान पर बुनकरों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की प्रदर्शनी का आयोजन इस दृष्टि से करना कि इस माल के विक्रय को प्रोत्साहन मिले ।

12. सदस्यों के माल के बीमा आदि का प्रबन्ध करना व भिन्न–भिन्न उत्पादन एव बिक्री केन्द्रों के आंकड़े, अन्य सम्बन्धित सूचना एकत्रित करना ।

13. भिन्न - भिन्न स्थानों में प्रचलित डिजाईन्स को एकत्रित करना व सदस्यों मे वितरित करना ।

14. जिले के अन्तर्गत प्रारम्भिक बुनकर समितियों की स्थापना करना, उनकी देखभाल करना व उनकी उन्नति करना ।

15. संघ की सदस्य समितियों के निरीक्षण की समय समय पर उचित व्यवस्था करना ।

16. प्रशिक्षण केन्द्र व रंगाई केन्द्र स्थापित करना व कैलेण्डरिंग की मशीने लगाना ।

17. संघ की बिक्री प्रचार व अन्य सम्बन्धित कार्य जो संघ के उद्देश्य में सम्मलित हो उनकी पूर्ति के लिये उचित माल, फर्नीचर व अन्य आवश्यक वस्तुओं को खरीदना . किराये पर लेना अन्य किसी भांति प्राप्त करना ।

18. संघ की ओर से एजेन्सियों स्थापित करना व आवश्यकतानुसार शाखाएे खोलना ।

19. कताई की ईकाईयाँ स्थापित करना व चलते हुए कताई के कारखानों को खरीदना व अपने प्रबन्ध में लेना ।

20. हाथकर्घा उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये प्रतियोगिता एवं प्रदर्शनियां का आयोजन करना ।

21. समस्त ऐसे कार्य करना जो संघ के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक सिद्ध हो ।

5. संघ की सदस्यता जिले की समस्त प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियॉ के लिए खुली रहेगी ।

6. संघके निम्नलिखित सदस्य होगें :–

1. बुनकर सहकारी समितियॉं जो इनके रजिस्ट्री के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करें ।

2. [illegible]

3. रजिस्ट्रार सहकारी विभाग या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति चाहे व [illegible] हो या न हो

7. सदस्यों का प्रवेश राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 एवं नियम, 2003 मे वर्णित प्रक्रियानुसार किया जा सकेगा ।

8. प्रत्येक सदस्य सदस्यता के लिये प्रार्थना पत्र देते समय रूपये 10/– प्रवेश शुल्क देगा ।

9. प्रत्येक समिति का अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सदस्यता ग्रहण करने से पूर्व का प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करेगा, जिसके अनुसार व संघ के चालू उपनियमों के अर्न्तगत कार्य करने को बाध्य होगा। प्रारम्भिक सदस्य संघ की रजिस्ट्री होने के एक माह के अर्न्तगत इस प्रकार के प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करेगा ।

10 कोई भी सदस्य राज्य व भारत सरकार तथा उनके द्वारा संगठित एवं स्थापित कोई संस्था सहयोगी एवं विभागीय सदस्यों को छोड़कर सदस्यता के अधिकारों का उपयोग तब तक नहीं कर सकेगा, जब तक उसने प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर न किये हो, ओर [illegible] हिस्सा अथवा हिस्से की किश्त अदा न करदी हों ।

11. सदस्यता निम्नलिखित में किसी एक कारण के होने पर समप्त कर दी जावेगी ।

(अ) सदस्य समिति के भंग होने पर

(ब) सदस्य समिति द्वारा त्याग पत्र देने के पश्चात् और उसे संचालक मण्डल द्वारा स्वीकृत कर लेने पर

(स) हिस्सा की पूंजी समय पर जमा नकरने पर ।

(द) ऐसी सदस्य समिति जिसका कार्य संघ के उद्देश्यों के विरुद्ध हो ।

12. [illegible] जनरल मिटिंग में बहुमत के आधार पर पृथक किया जा सकेगा, यदि :–

(अ) उसने सदस्यता के प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया हो ।

(ब) उसने संघ को जानबूझकर धोखा दिया हो और उसके साथ सच्चाई का व्यवहार न करते हुए उसे आर्थिक हानि पहुँचाने की चेष्टा की हो ।

–: हिस्से :–

13. संघ की पूंजी निम्न प्रकार बनेगी ।

1 हिस्सा पूंजी

2. ऋण

3. प्रवेश शुल्क

4. दान सब्सिडी तथा अन्य किसी प्रकार की सरकार व अन्य द्वारा दी गई [illegible] से ।

14. संघ के एक हिस्से का मूल्य 100/– रूपये का होगा तथा सदस्य समिति को एक हिस्सा खरीदना अनिवार्य होगा ।

15. संघ की अधिकतम हिस्सा पूंजी 20,000 हिस्से 100/– रूपये प्रति हिस्से से 20,00,000/– (बीस लाख रूपये) होगी ।

16. यदि कोई सदस्य समिति नियम समय पर हिस्से की रकम और संघ द्वारा एक माह का नोटिस प्राप्त होने की तारीख के एक माह के बाद भी अदा न करें, तो संघ के संचालक मण्डल को अधिकार होगा कि वह हिस्सा और हिस्सों के रुपये को जब्त कर लें । यदि कोई सदस्य जब्त किये हिस्सें या हिस्सों को पुर्नजीवित करना चाहें तो जब्त होने की तिथि से 2 माह के अन्दर रूपये 25/– फीस तथा शेष हिस्से का पैसा देकर पुर्नजीवित करा सकता है ।

17. हिस्सा [illegible] पत्र संघ की सील के अर्न्तगत अध्यक्ष एव मंत्री के हस्ताक्षरों से दिये जायेंगे ।

18. [illegible] अपना हिस्सा और हिस्से वापिस नही लेगी और न ही किसी व्यक्ति [illegible] जब तक की वह :–

(क) [illegible] हिस्सो या हिस्सा का अधिकारी न रहा हों ।

(ख) [illegible] समिति का सदस्य न हो और उसकी स्वीकृति संचालक मण्डल में न दे दी गई हो ।

(ग) [illegible] पत्र के साथ सदस्य की रूपये 50/– फीस देनी होगी । कोई [illegible] खरीद किये गये हिस्सो की राशि को किसी भी दशा में वापिस ले सकेगा [illegible] संचालक मण्डल के निर्णय पर वापिस लेने का अधिकार होगा परन्तु [illegible] दशा में एक वर्ष में संघ के हिस्से की रकम से 10 प्रतिशत से अधिक नहीं [illegible]

:– उत्तरदायित्वः–

19. [illegible] का दायित्व संघ द्वारा प्राप्त ऋण जमानत आदि कराने के लिए राजस्थान [illegible] अधिनियम, 2001 की धारा 2 के खण्ड (जे) में परिभाषित सीमा [illegible] होगा ।

20. संचालक मण्डल वार्षिक साधारण सभा द्वारा नियत की हुई सीमा तक जिसकी स्वीकृति रजिस्ट्रार , सहकारी विभाग ने दे दी है, समिति का कारोबार चलाने के लिये ऋण व जमानत ले सकेगा ।

21. पूंजी का उपयोग :–

पूंजी संघ के उद्देश्यों की पूर्ति करने में लगायी जावेगी और यदि उसका कोई भाग बच रहा हो , तो उसे राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 अथवा उसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार विनियोजन किया जा सकेगा ।

22. संघ की साधारण सभा में इसके समस्त सदस्य सम्मिलित होगें ।

नोट – संघ की प्रत्येक सदस्य समिति अपनी ओर से संघ की साधारण सभा में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि का चुनाव अपनी कार्यकारिणी सभा में करेगी । जिसकी सूचना प्रस्ताव की प्रतिलिपि के साथ जो समिति के अध्यक्ष या मंत्री द्वारा प्रमाणित होगी, संघ को देगी ।

23. संघ के संचालक मण्डल का अध्यक्ष साधारण सभा का सभापतित्व करेगें । और उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उनका पद ग्रहण करेगें ।

24. साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार होगी ~~व निम्नलिखित प्रकार से~~ आवश्यकतानुसार बुलाई जा सकेगी –

वर्ष मे [illegible] वार्षिक हिसाब बन्द होने के तीन माह के अन्दर ही बैठक अवश्य बुलाई जावेगी , यह सभा का वार्षिक अधिवेशन कहलायेगा ।

25. साधारण सभा का अधिवेशन निम्न प्रकार से बुलाया जा सकेगा ।

- संचालक मण्डल के बुलाने पर या कुल सदस्यों का 1/5 या 8 सदस्य समिति इन दोनों में से जो संख्या अधिक हो उसके)लिखित आवेदन करने पर
- 2. रजिस्ट्रार सहकारी विभाग और उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी की आज्ञा से ।

26. [illegible] साधारण सभा की सूचना सदस्यों को कम से कम 15 दिन पूर्व दी जायेगी जिसमें विचारणीय विषय आदि का उल्लेख होगा । वार्षिक सभा की सूचना के साथ संघ की वार्षिक रिपोर्ट एवं आय–व्यय परीक्षक द्वारा प्रमाणित आंकड़े भेजे जा सकते है

27. कुल सदस्य संख्या का 1/5 भाग या 8 सदस्य इनमें से जो भी अधिक हो, साधारण सभा का कोरम समझा जावेगा । कोरम 2 घन्टे में पूरा न होने की दशा में सभा की

कार्यवाही स्थगित कर दी जावेगी । स्थगित सभा का कोरम उपर्युक्त सभा का आधा होगा ।

28. अध्यक्ष सभा की राय से किसी भी सभा को स्थगित कर सकते हैं , किन्तु स्थगित सभा मे केवल उन्ही विषयों पर विचार होगा जो पिछली सभा में विचारणीय थे या शेष रह गये हो ।

29 प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा , किसी भी सदस्य के परोक्ष में अन्य व्यक्ति मत नही दे सकेगा । कोई भी सदस्य अपने व्यक्तिगत विषय पर मत देने का अधिकारी नहीं होगा ।

30 समस्त विषयों का निर्णय बहुमत से होगा । बराबर मत होने की अवस्था में अध्यक्ष को अपना निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।

31 प्रत्येक सभा कार्य विवरण एक रजिस्टर में लिखा जावेगा जिस पर अध्यक्ष व मंत्री या व्यवस्थापक के उसके सही होने के प्रमाण में हस्ताक्षर होगें ।

–: वार्षिक अधिवेशन :–

32 वार्षिक अधिवेशन में नीचे लिखे कार्य होग :–

1. संचालक मण्डल का पांच वर्ष की अवधि के लिए चुनाव करना ।
2. गत वर्ष का कार्य विवरण , आय –व्यय परीक्षक की रिपोर्ट एवं सरकारी अधिकारियो द निरीक्षण पत्र तथा तत्सम्बन्धी विषयो पर संचालक मण्डल द्वारा प्रस्तुत किए गये मत पर विचार ।
3. सहकारी कानून , नियम तथा संघ के उप नियमानुसार लाभ वितरण ।
4. समिति के कारोबार के लिए कार्य समिति द्वारा किये जाने वाले क्रय की सीमा निर्धारित करना जिसकी स्वीकृति रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग से प्राप्त करनी होगी
5. अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये एवं अध्यक्ष की अनुमति से प्राप्त अन्य विषयों पर विचार
6. आगामी वर्ष का बजट स्वीकार करना ।
7. किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त करने पर उसका प्रतिवेदन (अपील) पर विचार करना
8. किसी समिति को संघ का सदस्य बनाने से इन्कार करने पर प्रतिवेदन (अपील) पर विचार करना

9. सदस्यों की भर्ती की स्वीकृति देना ।

10. संचालक मण्डल के सदस्यों का वाहन व्यय तथा अन्य भत्ते स्वीकृत करना ।

33. संघ का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिये एवं संचालक मण्डल होगा, जो निम्न प्रकार बनेगा :–

1. प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों से 11 प्रतिनिधि , जिनका चुनाव संघ के सदस्यता रजिस्टर में पंजीयन सदस्य समितियों के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा किया जावेगा । अगर चुनाव निर्विरोध नहीं होता है तो प्रत्येक अधिकृत समिति को 11 प्रतिनिधि चुनने के लिए 11 मत देना का अधिकार होगा ।
   उपरोक्त प्रकार से चुने गये संचालक मण्डल के सदस्य अपने में से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, एवं मंत्री को चुनेगें ।
2. राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 के अर्न्तगत राज्य सरकार या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा मनोनीत दो व्यक्ति ।
3. राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ का प्रतिनिधि – एक
4. व्यवस्थापक पदेन सदस्य – एक

34. संचालक मण्डल का कार्यकाल निर्वाचन की तिथि से पांच वर्ष का होगा ।

35. कोई सदस्य (समिति का प्रतिनिधि) संचालक मण्डल का सदस्य चुने जाने योग्य नहीं समझा जावेगा, यदि –

1. उनकी अवस्था 21 वर्ष से कम हो ।
2. दिवालिया होने का प्रार्थी हो या दिवालियॉ घोषित कर दिया गया हो ।
3. गूंगा , पागल या कोढ़ी हो ।
4. संघ का वैतनिक कार्यकर्ता हो ।
5. तीन माह से अधिक संघ का किसी देनदारी के लिए दोषी हो ।
6. वह व्यक्ति जो राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 28 व राजस्थान सहकारी सोसाइटी नियम, 2003 के नियम 33 में उल्लेखित अयोग्यताऐ या अन्य कोई अधिनियम या नियम या इन उपनियमों में उल्लेखित अयोग्यता धारण करता हों ।

36. वह सदस्य संचालक मण्डल से अलग समझा जावेगा यदि –

1. संघ का हिस्सेदार नहीं रखता है, अथवा बिना कोई उचित कारण उसका दोषी हो ।

2. दिवालिया बनने के प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थना की हो या दिवालिया प्रमाणित हो चुका हो ।

3. गूंगा, पागल या कोढ़ी हो गया हो ।

4. संघ के विरूद्ध काम किया हो जिससे संघ को हानि पहुँची हो या हानि पहुँचाने की जिससे आशंका हो ।

5. संघ के अधीन स्वयं वैतनिक काम करने लग गया हो ।

6. बिना किसी कारण से संचालक मण्डल की लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहा हो ।

37. संघ का कार्य चलाने के लिये आवश्यकतानुसार बैठक हुआ करेगी ओर निश्चित तारीख पर तीन माह में कम से कम एक बार अवश्य बुलाई जावेगी । यदि कभी तीन माह से भी कोई विशेष कार्य नही होने की वजह से बैठक नही बुलाई जावे, तो अध्यक्ष महोदय से अनुमति प्राप्त की जानी चाहिये एवं इस तथ्य की सूचना व्यवस्थापक/मंत्री द्वारा संचालक मण्डल के समस्त सदस्यों को दी जानी चाहिये । समस्त बैठको की अध्यक्षता [illegible] अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करेगें । प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा । सब मामले बहुमत से तय किये जावेगें । बराबर मत आने की [illegible] में अध्यक्ष अपना निर्णयात्मक मत देगें । किसी भी सदस्य को व्यक्तिगत [illegible] में मत देने का अधिकार नही होगा ।

38. संचालक मण्डल का कोरम 8 सदस्यों का होगा । कोरम पूरा न होने के कारण स्थगित [illegible] सदस्यों का होगा ।

39. [illegible] संचालक मण्डल की बैठके की सूचना 7 दिन पूर्व दी जावेगी किन्तु [illegible] कम समय की सूचना भी वैद्य समझी जावेगी , यदि संचालक मण्डल के [illegible] को सूचना भेज दी गई है ।

40. संचालक मण्डल की बैठक का कार्य विवरण रजिस्टर में लिखना होगा , जिस पर [illegible] के प्रमाण स्वरूप व्यवस्थापक/मंत्री और अध्यक्ष के हस्ताक्षर होगें ।

41. संचालक मण्डल के अधिकार और कर्त्तव्य :–

1. [illegible] आये प्रार्थना पत्रों पर निर्णय देना और उनके लिये हिस्से एलॉट करना ।

कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : फा.15(14)सविरा/नियम/87/पार्ट–3 दिनांक : 17/6/

संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक
सहकारी समितियॉ,
समस्त

विषय : जिला बुनकर सहकारी संघों के उपनियमों में संशोधन ।

महोदय,

विषयान्तर्गत जिला बुनकर सहकारी संघों के वर्तमान उपनियमों के अन्तर्गत राज्य के समस्त जिला बुनकर सहकारी संघों में सक्रिय सदस्यता को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से उक्त संघों के उपनियम संख्या 10 में निम्नांकित संशोधन किया जाना उचित एवं आवश्यक समझा गया है । इस क्रम में आप अपने क्षेत्र के जिला बुनकर सहकारी संघों के उपनियमों में प्रस्तावित उपनियम क्रमांक 10 में राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 11 के अन्तर्गत वर्तमान प्रावधानों के स्थान पर निम्नानुसार उपनियम संशोधन संस्था को प्रस्तावित करते हुए संशोधन की आवश्यक कार्यवाही कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें:–

उपनियम संख्या	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित प्रावधान
10	कोई भी सदस्य राज्य व भारत सरकार तथा उनके द्वारा संगठित एवं स्थापित कोई संस्था सहयोगी एवं विभागीय सदस्यों को छोड़कर सदस्यता के अधिकारों का उपयोग तब तक नही कर सकेगा , जब तक उसने प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर न किये हो, ओर प्रत्येक शुल्क, हिस्सा अथवा हिस्से की किश्त अदा न कर दी हों ।	**सदस्यता संबंधी अधिकार** (अ) कोई भी सदस्य राज्य व भारत सरकार तथा उनके द्वारा संगठित एवं स्थापित कोई संस्था सहयोगी एवं विभागीय सदस्यों को छोड़कर सदस्यता के अधिकारों का उपयोग तब तक नही कर सकेगा, जब तक उसने प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर न किये हो, ओर प्रत्येक शुल्क, हिस्सा अथवा हिस्से की किश्त अदा न कर दी हों। (ब) संस्था के किसी सदस्य द्वारा अपने सदस्यता संबंधी अधिकारों का प्रयोग तब तक नहीं किया जा सकेगा, जब तक कि उसने संस्था की सेवाओं का न्यूनतम उपयोग करने के संबंध में रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित मानदण्डों, यदि कोई हों, के अनुसार आवश्यक पात्रता अर्जित नहीं कर ली हो।

(मुकेश शर्मा)
रजिस्ट्रार

क्रमांक : फा.15(1)(1)सविरा/नियम/87/पार्ट–2 दिनांक :

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मा. सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी बुनकर संघ लि0, जयपुर ।
3. संयुक्त पंजीयक (उद्योग), प्रधान कार्यालय, जयपुर ।
4. गार्ड पत्रावली ।

उप रजिस्ट्रार (नियम)

कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: फा. 15(14)सविरा/नियम/89 पार्ट–3 दिनांक 4/4/2014

अतिरिक्त/संयुक्त रजिस्ट्रार
सहकारी समितियॉ,
.....खण्ड

विषयः– जिला सहकारी बुनकर संघों के आदर्श उपनियम।

उपरोक्त विषयान्तर्गत 97वें संविधान संशोधन के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन अधिनियम 2013 राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित किया जाकर दिनांक 24 अप्रेल 2013 को अधिसूचित किया जा चुका है। अधिनियम में किये गये संशोधनों के आलोक में राज्य के जिला सहकारी बुनकर संघों के आदर्श उपनियमों में यथास्थान संशोधन अंतरित किए जाकर आदर्श उपनियम की एक प्रति संलग्न कर लेख है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 11 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए सभी संबंधित जिला सहकारी बुनकर संघों के उपनियमों को उक्तानुसार संशोधित कर इस कार्यालय को अवगत कराव।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(अनुराग भारद्वाज)
रजिस्ट्रार

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त रजिस्ट्रार सहकार भवन कार्यालय, जयपुर।
5. प्रबन्ध निदेशक राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लि0, जयपुर।
6. उप/सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ, (समस्त)
7. प्रचार अधिकारी, सहकार भवन, जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. गार्ड पत्रावली।

उप रजिस्ट्रार (नियम)

जिला बुनकर सहकारी संघों के प्रस्तावित संशोधित उपनियम

उपनियम संख्या	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान	टिप्पणी
24.	[illegible] की बैठक [illegible] अनुसार होगी व [illegible] से [illegible] बुलाई जा सकती [illegible] हिसाब [illegible] के [illegible] बैठक [illegible] बुलाई [illegible] वार्षिक [illegible]	**साधारण सभा –** **प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छः मास की कालावधि के भीतर भीतर** अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत वार्षिक साधारण सभा की बैठक बुलाया जाना आवश्यक होगा।	**97वें** संशोधन के आलोक में राजस्थान सहकारी **सोसाइटी अधिनियम,** 2001 **की** धारा 25 में **किये** गये संशोधन **के** अनुसार ।
32(2)	[illegible]	गत वर्ष का कार्य विवरण, आय व्यय परीक्षक की रिपोर्ट एवं सरकारी अधिकारियो व निरीक्षण पत्र तथा तत्संबंधी विषयों पर संचालक मण्डल द्वारा प्रस्तुत किये गये मत पर विचार करना। **अंकेक्षक द्वारा प्रस्तुत सोसाइटी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट को अनुपालना रिपोर्ट के साथ रजिस्ट्रार और उसकी सम्बद्ध सोसाइटी को भेजने से पूर्व उस पर विचार करना और उसका अनुमोदन करना।**	
32(11)	[illegible] नहीं	<u>**नया जोड़ा गया।**</u> (i) सोसाइटी की लेखाओं की लेखा परीक्षा हेतु साधारण निकाय अधिनियम की धारा **54(4)** के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा **अनुमोदित** पैनल मे से **लेखा परीक्षक या** लेखा परीक्षा फर्म की नियुक्ति करना। (ii) सोसाइटी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट अनुपालना रिपोर्ट के साथ रजिस्ट्रार और उसकी सम्बद्ध सोसाइटी को भेजने से पूर्व उस पर विचार करना और उसका अनुमोदन करना।	**97वें** संशोधन के आलोक में राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 **की** धारा 54 में **किये** गये संशोधन **के** अनुसार ।
33(1)	[illegible] संचालक मण्डल के सदस्य अपने में से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं मंत्री को चुनेंगे।	संघ का कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिये एवं संचालक मण्डल होगा, जो निम्न प्रकार बनेगा:– **संचालक मण्डल में 12 निर्वाचित सदस्य होंगे। संचालक मण्डल के उपरोक्त 12 निर्वाचित सदस्य प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों में** से चुने जावेंगे। संचालक मण्डल का **चुनाव राजस्थान** सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 **की धारा 34 के** अन्तर्गत राजस्थान राज्य सहकारी **निर्वाचन प्राधिकरण** द्वारा कराये जावेंगे। संघ का मुख्य कार्यपालक अधिकारी संघ व उसके पदाधिकारियों का निर्वाचन का संचालन करने के लिए, विद्यमान संचालक मण्डल की अवधि की समाप्ति के [illegible] पूर्व लिखित सूचना अधिकारी **को** भेजेगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी संघ के संचालक मण्डल में किसी आकस्मिक रिक्ति के बारे में, ऐसी रिक्ति होने के [illegible] लिखित सूचना भी भेजेगा। [illegible] समिति को [illegible] प्रतिनिधि चुनने के लिये [illegible] का अधिकार होगा। उपरोक्त प्रकार से चुने गये संचालक मण्डल के सदस्य अपने में से अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं मंत्री को चुनेंगे।	**97वें** संशोधन के आलोक में **राजस्थान** सहकारी **सोसाइटी अधिनियम,** 2001 **की** धारा 27एवं 34 **में** किये गये संशोधन के अनुसार ।
[illegible]	संचालक मण्डल का कार्यकाल निर्वाचन की तिथि से 5 वर्ष का होगा।	संचालक मण्डल का कार्यकाल निर्वाचन की तिथि से 5 वर्ष का होगा। संचालक मण्डल के प्रत्येक चुने गये सदस्य के	97वें संशोधन के आलोक में राजस्थान सहकारी

		आकस्मिक रूप से रिक्त हुए। स्थानों की पूर्ति अधिनियम की धारा 27(4) के प्रावधानानुसार की जावेगी। जिसके अनुसार रिक्त पदों को नामनिर्देशन द्वारा भर सकेगी, यदि समिति की अवधि इसकी मूल पदावधी के आधे से कम है। किन्तु यदि मूल पदावधी आधे से अधिक है तो ऐसी रिक्ति निर्वाचन, नाम निर्देशन या यथास्थिति सहयोजन द्वारा भरी जावेगी और ये सदस्य शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा।	सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 27 में किये गये संशोधन के अनुसार ।
41.(22)	कोई प्रावधान नहीं।	नया जोड़ा गया। वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट के आक्षेपों की अनुपालना रिपोर्ट तैयार कर साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत करना तथा अनुपालना रिपोर्ट की प्रति रजिस्ट्रार और उसकी संबद्ध सोसाइटीयों को भेजना।	
49.	कोई प्रावधान नहीं।	नया जोड़ा गया। संघ, प्रत्येक वितीय वर्ष की समाप्ति के छःमाह के भीतर–भीतर, रजिस्ट्रार को निम्नलिखित विवरणियां फाइल करेगी, अर्थातः– (क) अपनी कियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट (ख) अपने लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण (ग) अधिशेष के व्ययन के लिये योजना, जो संघ के साधारण निकाय द्वारा अनुमोदित हो (घ) संघ की उपविधियों के संशोधनों, यदि कोई हो, की सूची (ड) अपने साधारण निकाय की बैठक आयोजित करने की तारीख और निर्वाचनों का, जब नियत हों, संचालन करने के बारे मे घोषणा और (च) ऐसी अन्य सूचना, जिसकी रजिस्ट्रार समय–समय पर अपेक्षा करे।	97वें संशोधन के आलोक में राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 122–क में किये गये संशोधन के अनुसार ।